

फर्द अहकाम

श्रीमती शोभा कपूर बनाम सुगन सिंह

नाम न्यायालय

केस संख्या

52/17

7.5

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/4/21	वकिलों द्वारा आज्ञा कपडोनीस / कार्य रिहायिश सप्रेमको से प्रकृतली मत आज्ञानुसार दिनांक 07/06/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	7/6/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर <i>कोशिका</i> पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/7/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	6/7/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर <i>कोशिका</i> पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/8/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	6/8/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/8/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	26.8.21	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/9/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	13/9/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/10/21 को पेश हो। <i>By</i>	
	15/11/21	आज यह पत्रावली प्रशासन शाखों के संग अभिधान केंद्र कोर्टी ग्राम लोहरवाडा में सेवा हुई। बाकी मय अचिवकला अथ प्रसिवादी गव / अपापीनाण अनुभव कदम सुनी	

श्रीमान कपूर
 15/11/2021
 52/17/21
 29

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्रावली का आवलीकन किया गया।
 मुल वाद तत्कालीन एवं स्थायी विवेचना
 का ही इस न्यायालय के अन्तर्गत आदेश
 दिनांक 16/11/17 को दिया गया।
 उचित प्रतिक्रिया दी। अतः इस न्यायालय
 द्वारा जारी अन्तर्गत अस्थायी विवेचना
 आदेश दिनांक 16/11/17 को तार्किकता
 मुल वाद रखाई (न.प्र. क्रम) किया
 जाता है। पत्रावली केवल कुमारा
 होकर इस अम्बर से सम ही एक
 मुल वाद के शायद स्थान पर रहे।

सहायक क्लर्क
 (फास्ट ट्रेक)
 चैम्बू (जयपुर)

आदेश दिनांक 16/11/17 को जारी किया गया।
 मुल वाद तत्कालीन एवं स्थायी विवेचना
 का ही इस न्यायालय के अन्तर्गत आदेश
 दिनांक 16/11/17 को दिया गया।
 उचित प्रतिक्रिया दी। अतः इस न्यायालय
 द्वारा जारी अन्तर्गत अस्थायी विवेचना
 आदेश दिनांक 16/11/17 को तार्किकता
 मुल वाद रखाई (न.प्र. क्रम) किया
 जाता है। पत्रावली केवल कुमारा
 होकर इस अम्बर से सम ही एक
 मुल वाद के शायद स्थान पर रहे।